



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/डायरे(एकेड)/2021

29 जुलाई 2021

परिपत्र संख्या: एकेड - 57/2021

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रमुख

विषय: कक्षा 3, 5 और 8 हेतु सीबीएसई-स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग (सफल)

प्रिय प्रधानाचार्य,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4.40 में अनुशांसा की गई है कि स्कूलों और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार की योजना बनाने में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली के लाभ के लिए, सभी छात्र कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूल परीक्षा देंगे जो रटने के बजाय वास्तविक जीवन परिस्थितियों में प्रासंगिक उच्च-क्रम कौशल और ज्ञान के अनुप्रयोग के साथ मूल अवधारणाओं के मूल्यांकन के माध्यम से मूलभूत अधिगम परिणामों की उपलब्धि का परीक्षण करेगा।

इस संदर्भ में, सीबीएसई ने छात्रों के मूलभूत कौशल और सीखने के परिणामों / दक्षताओं की प्रगति का आकलन करने के लिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन, **स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग (सफल)** लॉन्च किया। नैदानिक मूल्यांकन के रूप में **सफल**, छात्रों पर अतिरिक्त परीक्षा दबाव डाले बिना शिक्षण-अधिगम में सुधार लाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों को विकासात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। इसे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे न केवल कक्षा 10 और 12 में बल्कि सम्पूर्ण स्कूल में छात्रों की सीखने की प्रगति पर नज़र रख सकें। स्कूलों द्वारा सफल के परिणामों का उपयोग छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा।

मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं सफल वीडियो http://cbseacademic.nic.in/safal_video.html में उल्लिखित हैं और मूल्यांकन का विवरण सफल हैंडबुक http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Safal_handbook.pdf में उपलब्ध है।

भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान/विज्ञान के प्रमुख पाठ्यक्रम क्षेत्रों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के लिए सीबीएसई स्कूलों में प्रायोगिक आधार पर



'शिक्षा सदन', 71 राज़ एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002
'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi –





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)


CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सफल का आयोजन किया जाएगा। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को सफल 2021-22 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। सफल के लिए मूल्यांकन और पंजीकरण का विवरण समय के साथ सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

शिक्षा को योग्यता-आधारित बनाने में सहयोग एवं प्रोत्साहन देने हेतु सफल में आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

शुभकामनाओं सहित,



डॉ. जोसफ इमानुवल

निदेशक (शैक्षणिक)

नीचे उल्लिखित सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति।

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110 054
4. लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई., सीबीएसई प्रकोष्ठ, वीआईपी रोड, जंगल घाट, पी.ओ. 744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9. निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
10. सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
11. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए पी एस के पास), दिल्ली कैंट -110010

'शिक्षा सदन', 71 राजू एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002

'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi -





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

12. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को भेजने के अनुरोध के साथ।
13. सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / सहायक सचिव / विश्लेषक, सीबीएसई
14. सभी प्रमुखों/ प्रभारियों, उत्कृष्टता केंद्र, सीबीएसई
15. प्रभारी आईटी एकक को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ
16. प्रभारी, पुस्तकालय
17. प्रमुख (मीडिया और जन संपर्क), सीबीएसई
18. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव
19. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
20. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
21. निदेशक (सूचना प्रद्योगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
22. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (व्यावसायिक परीक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
25. निदेशक (सीटीईटी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
26. निदेशक (एडुसेट), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
27. रिकॉर्ड मिसिल

निदेशक (शैक्षणिक)

नोट : हिंदी परिपत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी परिपत्र को अंतिम माना जाए।



'शिक्षा सदन', 71 राज़ एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002
'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi –

